न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस

प्रकरण सं. / प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 79 / 2023

1. सायरी पुत्री बालू जाति बैरवा समस्त निवासीगण ग्राम काचरियां ग्राम पंचायत नान्दसी तहसील भिनाय केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. कल्याण पुत्र सवाई जाति बैरवा
2. भैरू पुत्र चन्द्रा जाति बैरवा
3. रोडू पुत्र रामचन्द्र जाति बैरवा
4. जीवराज पुत्र रामचन्द्र जाति बैरवा
5. पानी पत्नी नारायण जाति बैरवा
6. महावीर पुत्र रोडू जाति जाट
7. रामचन्द्र पुत्र रोडू जाति जाट
8. मिश्रीलाल पुत्र श्रीराम जाति जाट
9. रामधन पुत्र रामदयाल जाति जाट
10. लक्ष्मण पुत्र रायमल जाति जाट
11. कालू पुत्र बालू जाति जाट
12. घीसालाल पुत्र बालू जाति जाट
13. रंगलाल पुत्र अजीता जाति जाट
14. नारायण पुत्र रामनाथ जाति जाट
15. बद्री पुत्र रामनाथ जाति जाट
16. भागचन्द पुत्र रामनाथ जाति जाट समस्त निवासीगण ग्राम काचरिया ग्राम पंचायत नान्दसी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम निर्णय दिनांकः–31.01.2023

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– मौहम्मद युसुफ
2 . पैरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा काचरिया पटवार क्षेत्र कनेईकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 246 में दर्ज खसरा नं. 1029 रकबा 0.52, खसरा नं. 875 रकबा 0.69, खसरा नं. 876 रकबा 1.27, खसरा नं. 890 रकबा 2.26, खसरा नम्बर 891 रकबा 0.12 है0, खसरा नं. 90 रकबा 0.07 और खसरा नं. 99 रकबा 1.03 है0 कुल किता 07 कुल रकबा 5.96 हैं0 जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 16 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी

सं. 17 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 05 लगायत 16 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली में अप्रार्थी सं0 05 लगायत 16 के विरूध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 4 द्वारा पत्थरगढ़ी बाबत् अनापत्ति प्रस्तुत की। पत्रावली में पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में राजहित प्रभावित ना होने की टिप्पणी अंकित की। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम काचरिया के खाता खंख्या 246 संवत 2074–2077(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीयां की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा काचरिया पटवार क्षेत्र कनेईकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 246 में दर्ज खसरा नं. 1029 रकबा 0.52, खसरा नं. 875 रकबा 0.69, खसरा नं. 876 रकबा 1. 27, खसरा नं. 890 रकबा 2.26 और खसरा नम्बर 891 रकबा 0.12 है0, खसरा नं. 90 रकबा 0.07 और खसरा नं. 99 रकबा 1.03 है0 कुल किता 07 कुल रकबा 5.96 हैं0** हेतू नायब तहसीलदार नागोला को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)
सत्यमेव जयते

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)